विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-19 का उत्तरालेख

	प्रश्न	उत्तर
19	**(क)** क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव में संविदा स्टाफ, आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत कुल कितना स्टाफ विद्युत सबस्टेशन, फील्ड पर अद्यतन कार्यरत है?	जनपद-उन्नाव में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कुल 939 स्टाफ कार्यरत हैं, जिसमे से सब स्टेशन पर 314 स्टाफ एवं फील्ड पर 625 स्टाफ तैनात हैं।
	(ख) इन कार्मिको को मानदेय दिये जाने हेतु कोई गाइडलाइन/शासनादेश है ?	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर कार्यालय के न्यूनतम मजदूरी विषयक आदेश संख्या-2-9प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 03 अप्रैल 2023 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है, जिसमें अकुशल श्रमिक हेतु रु0 10,089 एवं कुशल श्रमिक हेतु रु0 12432 प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 अंशदानों का भी भुगतान किया जाता है।
	(ग) यदि हाँ, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?	उक्त शासनादेश की 20 प्रतियाॅ मा0 सभापति महोदय के कार्यालय कक्ष में रख दी गयी है।
	(घ) क्या समान कार्य के आधार पर समान मानदेय दिये जाने पर विचार करेंगे ?	ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से निविदायें प्रकाशित की जाती है एवं न्यूनतम निविदा मूल्य वाली आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को नियोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि चयनित आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रदत्त मजदूरी श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम न हो।

ए.के. शर्मा

ऊर्जा मंत्री